SC-28
14/7/14

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2014

Chandra Shekhar Singh and others ....Petitioners

Versus

The State of Bihar & others ....Respondents

Sub:-Payment of salary,
co-operative, Deprtment

Index

Sl.No.	Particulars of papers	Pages No
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India	1-9
2.	Annexure-1:A true photo copy of the letter dt. 23.05.81	10
3.	Annexure-2:A true photo copy of the advertisement dt. 20.07.81	11
4,	Annexure-3 A true photo copy of the detailed chart	12
5.	Annexure-4A true photo copy of the representation dt. 25.08.11 and 27.04.13 series	13-14
6.	Annexure-5A true photo copy of the letter dt 25.06.11	15
7.	Annexure-6 A true photo copy of the report dt. 22.08.2012	16-21
8.	Annexure-7 A true photo copy of the letter dt. 28.06.2013	22-24
9..	Vakalatnama.	

285

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT
PATNA CORE PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2676

भारत
INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000285
375464
Zero*Zero*Zero*Zero*TwoEight Five***

न्यायिक
JUDICIAL
BIHAR
6476 1338375

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2014

In the matter of an application under Ar -ticle 226 of the Constitution of India.

AND

In the matter of

1.Chandra Shekhar Singh, S/o Late Upendra Narayan Singh, at Saropatty, P.O. - Lalpur, Saropatty, P.S.- Singheshwar, District Madhepura.

2. Nawal Kishore Yadav, S/o Late Ram Sharan Yadav, at & P.O. Pospar, P.S. Saur Bazar, District Saharsa.

3. Sitaram Ram, S/o Late Parmeshwar Ram, at Khopaiti, P.O. Sukhasan Chakla, District Madhepura at present Sahugarh, No. 1, P.S. & District Madhepura.

4. Brahamdeo Kumar, S/o Late Subhash Ram, At- Mojama, P.O. - Teerwa, P.S. - Shankarpur, District -Madhepura

5. Gajendra Sharma, S/o Late Soti Sharma,at & P.O. Pastpar, P.S. Saurbazar, District Saharsa.

6. Shiv Narayan Sah, S/o Late Dasrath Ram, at & P.O. Saronikala, P.S. Golpara, District Madhepura.

7. Surya Narayan Yadav, S/o Late Ras Bihari Yadav, at Chamgarh, P.O. Jitapur, P.S. Murliganj,

District Madhepura.

8. Digambar Jha, S/o Late Shivanand Jha, At Pir Nagar, P.O. Pirnagar, Jyodhi, District - Munger at present District -Khagaria.

9. Dev Narayan Yadav, S/o late Raghubir Yadav, At & PO - Pastpar, P.S. Sourbazar, District - Saharsa.

10 Siya Charan Paswan, S/o Late Bhumi Paswan, At & PO- Balram, P.S. + District Madhepura.

11. Bishnudeo Rajak, S/o Jagdish Rajak, At & P.O. - Fulot, P.S. Fulot, District Madhepura.

12. Nirmala Devi, W/o Late Devdatta Pd. Yadav, R/o village - Maheshwa Tola, Chausar, P.O. Maheshwar, P.S. & District Madhepura.

13. Ganesh Prasad Singh, S/o Late Jatashankar, At Rampurkhora, P.O & P.S.- Udakishunganj, District- Madhepura.

14. Jagdish Thakur, S/o Late Moti Thakur, R/o village Thangha, P.O. -Kanp, P.S. Saurbazar, District- Saharsa.

15. Surendra Pd. Suman, S/o Late Narayan Sah, R/o village +PO+P.S- Singheshwar, District Madhepura.

16. Chhedilal Choudhary, S/o Late Surya Narayan Choudhary, Madhepura Ward No. 14, Bipass Road, FCI Godown, P.O. + P.S. + District - Madhepura. .... Petitioners

Versus

1.The State of Bihar through Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.

2. The Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna

3. The Principal Secretary, Cooperative Society, Govt. of Bihar,Patna.

4. The Registrar, Co-operative Society, Bihar Patna.

2. That main point involved in this writ application are as follows :-

i) Whether petitioners were employee of the respondent Cooperative Department, since very respective date of appointment of petitioners, they were working on the respected place of posting till date of their retirement but respondent authorities have not been paid arrear of the salary of the working period without any cause or not?

ii) Whether respondent Cooperative Department can withheld the salary of the petition ers of the working period whenever petitioners have worked till date of respective their retirement or not ?

iii) Whether petitioners filed application before the respondent authorities thereafter a respondent Principal Secretary, Co-operative Department, Government of Bihar con -stitute a committee of the 5-men and had directed to submit the report about the employee of the Co-operative Department and its payment of salary and adjustment of the service and report have been submitted on 22.08.2012 with recommendation for payment of salary to the employee of the Co-operative Department but respondent State Government did not take any action for payment of salary to the petitioners till today or not?

iv) Whether action of the respondent is illegal, arbitrary, malafide and miscourage of jus -tice regarding recovery of alleged amount and withheld salary of petitioners or not?

3. That petitioners are citizen of India and they are entitled for right guarantee under the Constitution of India.

4. That it is needful to stated here that the petitioners were appointed in the year 1974 and 1977 before the Co-operative Department on the post of Pacs Mannager by special appointment by the Government, therafter respondent authorities issued a letter memo no.

5. The Managing Director, Bihar State Cooperative Bank, Patna cum Member of Secretary, Bihar State Cadre Cooperative Society, Ashok Rajpath, Patna.

6. The District Magistrate, Madhepura cum Liquidator, Madhepura, Supaul Central Co-operative Bank Ltd., Madhepura.

7. The Joint Registrar, Cooperative Society , Koshi Pramandal, Saharsa cum Joint Liquidatory Madhepura Supaul Cooperative Bank Ltd. Madhepura.

8. The District Cooperative Officer, Madhepura cum Administrator, Saharsa District Cadre Cooperative Society Ltd., Madhepura cum Assistant Liquidator, Madhepura Supaul Central Cooperative Bank Ltd., Madhepura, District Madhepura- ....Respondents

To,

The Hon'ble Ms Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of petitioners above named.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH :-

1. That this writ application is being filed for issuance of wirt nature of mandamus for direction to the respondent to pay the arrear of salary to the petitioners in pursuance of the 5-men Committee report dt. 22.08.12 by which recommend for payment of arrear of salary to the employee of the respondents but respondent authorities have not paid the arrear of salar -y to the petitioners as yet and further issued direction to the respondents to pay the arrear of salary to the pettiioners alongwith 11 % compound interest per annum till date of full and final payment to petitioners alongwith litigation cost and further issue direction to give other conseqential benefit attach to the post to the petitioner.

6489 dt.23.05.1981 under signature of the Chief Secretory , Goverment of Bihar, for appoint ment in the class 3-4 post in the all department.

A true photo copy of the letter dt. 23.05.81 is annexed as Annexure -1 to this writ application.

5. That inpurusance of annexure-1, an advertisement on 20th July 1981 issued by paper publication namely Aryavart for appointment on the post of Paccs Manager in the scale of Rs. 200-308, in pursuance of that petitioners and others filed application for appointment and they had duly selected, subsequently appointment letters have issued and directed submit ted joining in respective place of posting.

A true photo copy of the advertisement dt. 20.07.81 is annexed as Annexure -2 to this writ application.

6. That further needful to stated here that the petitioners were appointed at different places and have worked upto till date of retirement on the post of Paccs Manager but arrear of salary of the working period have not paid to the petitioners for which a comparative chart , in said chart containing as, date of birth, date of joining, last posting, date of retirement , period of salary and total amount arrear of salary is supplied.

A true photo copy of the detailed chart is annexed as Annexure - 3 to this writ application.

7. That it is needful to stated here that petitioners filed several application before respo -ndents authority for payment of due salary of the working period but did not considered as yet, as skae of evidence some of the last representation are annexed here for sake of evidence,if any required, same shall be filed.

A true photo copy of the representation dt. 25.08.11 and 27.04.13 are annexed as Annexure - 4 series to this writ application.

8. That it is needful to stated here that wife of petitioner no.1 filed an application under RTI seek information for non-payment of due salary from District Co-operative officer Madhepura thereafter said officer send reply by letter dt 25.06.11 by which admitted due salary of petitioners and stated that due non collection of the cadre fund and grant aid by tthe goverment, payment of salary of employee of Paccs Manager has not paid, soon after allotment , payment shall be made.

A true photo copy of the letter dt 25.06.11 is annexed as Annexure - 5 to this writ application.

9. That it is needful to stated here that salary of the petitioners are due since ago, the petitioners have been retired, some of employee are no more hence, his widow of the em ployee is made party as petitioners, the respondent Principal Secretary Co-operative De partment, Bihar, Patna constitute a committee regarding payment of salary and others dis pute of the Co-operative Department, as adjustment of service/ compassionate appointment and payment of due salary, thereafter 5-Men Committee come in conclusion, that the peti tioner and others had appointed in pursuance of the direction issued by the respondent Gov ernment, they are working continuously since there respective place of posting time to time, some of them salary was paid and some of the period has not been paid by the respondent Cooperative Department. Thereafter, 5-Men Committee come in conclusion that the arrear of salary shall not been paid from the State Cooperative Bank, Central Cooperative Bank and Aid from Pax, finally recommend that a respondent State Government should be allotted the fund for payment of due salary to the employee of the Cooperative Department.

A true photo copy of the report dt. 22.08.2012 is annexed as Annexure - 6 to this writ application.

10. That the petitioners and others also filed application before the respondent District Co-operative Officer, Madhepura cum Administrator Saharsa District Cadre Co-operative Society, Madhepura, thereafter, a report call from the concerning office regarding payment of due salary to the petitioners and others and a detailed report submitted memo no. 42, dt. 28.06.2013 under signature of District Cooperative Officer, Madhepura cum Administrator, Saharsa District Cadre Cooperative Committee Ltd. Madhepura by which detailed chart of the arrear of salary of the each employee mentioned with comments about non payment of salary, and admitted the fact that the employee of the Cooperative Department the salary are due in the respective date and years of the working periods, even then respondent authority did not take any step regarding payment of the salary and have compelled to file present application.

A true photo copy of the letter dt. 28.06.2013 is annexed as Annexure - 7 to this writ application.

11. That very peculiar facts and circumstances is there that petitioners have already been filed several application before respondents but did not consider the application of the peti tioners till today.

12. That it is needful to stated here that petitioner no.16. Chhedilal Choudhary has been appointed on the post of clerk by letter memo no. 319-2 dt. 02.08.2002 issued under signa ture of Dist- Magistate Madhepura in the light of the order of Hon'ble Supreme Court dt. 20.08.1998 and letter memo no. 562 dt. 12.06.02 issued Koshi Divisional Commissioner, Saharsa, but due salary of the wrorking period from January 1999 to 2 August 2002 , worth of rs. 167910/ only has not paid , which pending before co-operative department , for which petitioners filed several application.

13. That petitioner filed several application but respondent did not take any step for pay ment of salary of working period, whenever petitioners has already submitted absentee in

due time,even then payment of salary of petitioners withheld without any clausable reason, not only, represantations of petitioner still pending for due consideration till today.

14. That due to part of fault of the respondent ,petitioners are suffering non payment of salary , not only his children suffered from studies also thus petitioners are entiltled for 18%per annum interest of due salary upto till date of final payment.

15. That payment of salary are withheld without any clausable reasons for which the dependent of family members are suffering from very hard position .

16. That withholding the salary of the petitioners are colourable exercise of power and respondents have no jurisdiction to wihhold the salary of the petitioner.

17. That petitioner is facing starvation alongwith his entire family members due to non payment of due salary of the petitioner.

18. That action of the respondents are illegal, arbitrary,malafide and miscourage of justice

19. That on the above facts and circumstances of the case petitioners are deserve relief by this Hon'ble Court.

20. That petitioners have no efficacious and alternative remedy save and except to file this writ application.

21. That petitioners have not moved any time earlier before this Hon'ble Court for the relief sought for in para-1 of ther writ application.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to issue notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of the writ applica -tion be not granted to the petitioners and upon cause being shown if any and after hearing the parties pass such other order/orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Chandra Shekhar Singh, aged about 64 yearsS/o Late Upendra Narayan Singh, at Saropatty, P.O. - Lalpur,Saropatty, P.S.- Singheshwar, District Madhepura., do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am of the petitioner no.1and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the same.

2. That I have gone through the contents of this application and have fully understood the same. The statements made in paragraphs no.3, and 11 to 18 are true to my knowledge and paragraphs no.4 to 10 information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

3. That annexures are true/photo copies of the originals.

Annexure 1 (10)

पत्र संख्या-3/आर.1-103/73(खंड) का0- 6489

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री प्रेम प्रसाद नैयूयर,
मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सरकार के सभी विभागीय आयुक्त-सह-सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-1, दिनांक 23 मई, 1981

विषय :- वर्ग-3 एवं 4 के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार मंत्रिमंडल सचिवालय से निर्गत पत्र संख्या- 2476, दिनांक 16.07.80, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-16440 एवं 16441, दिनांक 31.12.80 एवं मुख्यमंत्री के 1981-82 के बजट भाषण के मद संख्या-116 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन कार्मिक के पदों पर नियुक्ति नहीं हो पायी है उन सभी वर्ग-3 एवं 4 के रिक्त पदों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति शीघ्र की जाय ताकि अधिकतम बेराजगार व्यक्तियों को नियोजन की सुविधा मिल सके।

2. अनियोजन की समस्या को कम करने के लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 जून, 1981 तक सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में निगम एवं दूसरे प्रतिष्ठानों में जितनी रिक्तियाँ है उनको नियमानुसार भरा जाय।

3. इसी उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी विभागों व प्रतिष्ठानों नियोजनालयों एवं सर्वोजिनेट सर्विस कमीशन द्वारा आवेदन पत्र लिये जाने में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाय।

4. सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उक्त निर्धारित तिथि तक वर्ग-3 एवं 4 के सभी रिक्त पद भर दिए जायें।

विश्वासभाजन
ह0अ0/-
श्री प्रेम प्रसाद नैयूयर
बिहार सरकार, पटना।

बिहार सरकार,
सहकारिता विभाग।

ज्ञाप संख्या- 10543 /पटना, दिनांक 11 अगस्त, 1981
10/परिपत्र-02/81

प्रतिलिपि :- सहकारिता विभाग के सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय
मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक
(कार्यालय सहायक, श्री झा को 10 प्रतियाँ)
सभी सहकारी शीर्ष संस्थान
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, केन्द्रीय सहकारिता बैंक
सभी उप निबंधक सहयोग समितियाँ (पैकेज) को प्रेषित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0अ0/-
प्रशासी पदाधिकारी

Annexure - 2 (11)

आर्यावर्त्त, 30जुलाई, 1981

आवश्यकता

प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों तथा कृषक सेवा समितियों के प्रबन्धक पद पर रू० 200–308 के वेतनमान पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।। उम्मीदवारों की निम्नतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक तथा उम्र 1.8. 81 को 25 वर्ष और 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरिजन तथा आदिवासी उम्मीदवारों की अधिकतन उम्र सीमा 37 वर्ष होगी।

जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए 1980 में जिला सहकारिता पदाधिकारी सहर्षाको आवेदन पत्र दिया है उन्हें पुनः आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन पत्र दिनांक 14.8.81 तक जिला नियोजनालय सहर्षा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाय जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्त्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, सहकारिता कार्य का अनुभव, नियोजनालय का नाम तथा निबंधन संख्या का उल्लेख रहे।

आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक की तथा अन्य परीक्षाओं का प्राप्तांक एवं अनुभव की आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न की जाय। मधेपुरा तथा सहर्षा जिले के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(डा० अर्जुन प्रसाद सिंह)
सचिव, चयन समिति,
सह
अवैतनिक मंत्री,
मधेपुरा–सुपौल सेन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक लि०,
मधेपुरा

एडीत्र 332 पी०सी०

T.C Annexure - 3 (12)

Typed Copy

Sl. No.	Name of Petitioner	D.B.	Date of Joining	Last posting at	Date of Retirement	Salary arrear date record	Amount
1.	Sri Chnadra Shekhar Singh, S/o Late Upendra Narayan Singh, At- Saropatti, P.O.- Lalpur Saropatti, P.S. Singheshwar, District Madhepura	29.08.1950	06.01.1982	Sonbarsa Pa	29.08.2008	June 1997 to August 2008	10,22,652.00
2.	Sri Nawal Kishor Yadav, S/o Late Ram Sharan Yadav, At+PO- Postpar, P.S.- Saur Bazar, District Saharsa.	30.04.1954	09.01.19982	Sukhasan Bhawanipur Paccs	30.04.2012	July -1993 to April-2012	16,40,596.00
3.	Sri Sita Ram Rana, S/o Late Parmeshwar Rana, At – Khopaiti, PO- Sukhasan Chakala, Dist- Madhepura, At present Address – AT+PO- Salugarh No. 1, P.S. & Dist. – Madhepura	14.02.1953	01.01.1982	Raiveer Paccs	14.02.2011	January-1995 to February-2011	14,26,235.00
4.	Sri Brahamdev Kumar, S/o Late Suresh Ram, At- Mojma, PO – Jeerwa, PS- Shankarpur, Dist. Madhepura	09.07.1952	09.01.1982	Sahgarh No.1 Paccs	09.07.2010	January-1993 to July-2010	1,36,79,382.00
5.	Gajendra Sharma, S/o Late Soti Sharma, At+PO- Pastpar, P.S. Saur Bazar, Dist. – Saharsa.	30.08.1955	01.01.1982	Ghoshai Paccs	30.08.2013	January-1993 to August-2013	17,22,226.00
6.	Sri Shiv Narayan Sah, S/o Late Dasharath Ram, At+PO – Saroni Kala, P.S. Gwalpara, Dist. Madhepura	01.01.1951	06.01.1982	Bishwari Pirnagar Paccs	01.08.2009	January-1996 to July-2009	11,75,166.00
7.	Sri Surya Narayan Yadav, S/o Late Rasbihari Yadav, At- Chamgarh, PO- Jeetapur, PS- Murliganj, Dist. – Madhepura.	05.08.1952	01.01.1982	Pokharan Paccs	05.08.2010	January-2002 to August-2010	8,31,261.00
8.	Sri Digambar Jha, S/o Late Shiva Nand Jha, At- Pir Nagar, PO- Pirnagar diyodhi, Dist. Munger.	01.06.1953	05.01.1982	Dehad Behad Paccs	01.06.2011	July-1995 to May-2011	13,86,746.00
9.	Sri Dev Narayan Yadav, S/o Late Raghuveer Yadav, At+PO- Pastpar, P.S. Saur Bazar, Dist. Saharsa.	05.01.1954	01.01.1982	Kanp Pacs	05.01.2012	July-1995 to January-2012	15,74,674.00
10.	Sri Siyacharan Paswan, S/o Late Bhumi Paswan, At + PO- Balam, PS+Dist. Madhepura	07.11.1948	06.01.1982	Sripur Mithahi Paccs	07.01.2006	July-1993 to November 2006	8,44,448.00
11.	Sri Bishundev Rajak, S/o Jagdish Rajak, At+PO- Fulot, PS- Fulot, Dist. Madhepura	21.02.1956	04.01.1982	Kishanpur Ratwara Pacus	21.02.2014	January-1994 to February-2014	17,73,916.00
12.	Nirmala Devi, W/o Late Devdutt Pd. Yadav,R/o vill.- Maheshwa Tola, Chausar,PO – Maheshwar, PS+Dist.- Madhepura	10.04.1954	01.01.1982	Jharkaha Bharti Paccs		January 2002 to	12,18,217.00
13.	Sri Ganesh Prasad Singh, S/o Late Jata Shankar Pd. Singh, At- RampurKhora, PO+PS.- Udakishunganj, Dist. Madhepura	11.12.1947	17.04.1974	Ladma Badhona Paccs	11.12.2005	January-2002 to December-2005	42,195.00
14.	Sri Jagdish Thakur, S/o Late Moti Thakur, AT- Thangha, PO – Kanp, P.S.- Saurbazar, Dist. Saharsa	14.08.1947	15.04.1974	Sahpur Sahamora Paccs	14.07.2005	July-1995 to July-2005	6,93,681.00
15.	Sri Surendra Prasad 'Suman', S/o Late Narayan Sah, At+PO+PS- Singheshwar, Dist. – Madhepura	02.07.1948	19.04.1974	Tedhamore Paccs	02.07.2006	July-1995 to July-2006	4,71,062.00
16.	Sri Chandilal Choudhary, S/o Late Surya Nr. Choudhary, AT- Madhepura, Ward No. 14, Near Bipass Road, F.C.I., Godown, PO+PS+Dist.- Madhepura.	05.04.1949	21.12.1977	Manikpur Paccs	03.08.2002 going to Govt. Job.	September-2001 to August-2002	1,67,910.00

Annexure 4 Series (13)

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना। (बिहार सरकार)

विषय :- लंबित बकाया वेतन भुगतान के संबंध में।

महाशय,

सेवा में निवेदन है कि मैं कार्यालय सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि0, मधेपुरा के सहाकारिता प्रबंधक, किसनपुर रत्वारा पैक्स, प्रखण्ड आलमनगर, जिला मधेपुरा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ।

कि मुझे मेरा वेतन माह जनवरी। 1994 से बकाया है। मुझसे लगातार कार्य लिया जा रहा है, लेकिन मेरा वेतन मुझे भुगतान नहीं दिया जाता है मैं एक गरीब हरिजन (महादलित) धोबी जाति का हूँ। मेरा वेतन का भुगतान नहीं कर मुझे उपेक्षित किया गया है। वेतन के अभाव में मेरी पारिवारिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती गयी आज परिवार बाल बच्चों के साथ भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है जो भुखमरी के कगार पर है आये दिन भूखे पेट भी रात गुजारना पड़ता है। मैं वेतन के लिए दौड़ते दौड़ते थक चुका हूँ इस जिल्लत भरी जिंदगी से मौत भला है।

अत: श्रीमान से सादर अनुरोध है कि इस गरीब हरिजन (महादलित) कर्मी का बकाया वेतन भुगतान करने की अतिम कृपा की जाए।

इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा।

विश्वासभाजन
विष्णु देव रजक
(विष्णुदेव रजक) 25-8-2011
किसनपुर रतवारा पैक्स।

मेरा पत्राचार का पता :-

विष्णुदेव रजक
ग्राम+पो0 फुलौत, थाना चौसा,
जिला मधेपुरा।

(14)

सेवा में,

सरकार के उप-सचिव

सरकारिता विभाग

बिहार सरकार, बिहार

विभागीय शिकायत निवारण समिति

स्थान:- दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्री नगर, पटना ।

विषय:- माह जून 1997 से लंबित बकाया वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक 20 अप्रैल 2013 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में विहित प्रपत्र में अपना लंबित बकाया वेतन भुगतान हेतु क्षेत्रीय शिकायत विवारण कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा को उपलब्ध कराते हुए दिनांक 21.04.2013 को ई-मेल पर अग्रीम प्रति भवदीय को भी उपलब्ध करा दिया हूँ।

मैं भवदीय के विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय सहरसा जिला सवर्ग सहयोग समिति लि0, मधेपुरा मे प्रबन्धक के पद पर कार्य कर रहा हूँ तथा अगस्त 2008 को सेवा निवृत हो गया हूँ।

इस कार्यालय के प्रधान जिला सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा-सह-प्रशासक, सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि0 मधेपुरा है,

इस के पास कोई निधि नही है। जिस कारण मेरा लंबित बकाया वेतन नही मिल रहा है। वेतन के आभाव में मेरी स्थिति वद से बदतर हो गया है। परिवार के समक्ष भूखमरी की समस्या हो गया है। पत्नी विमार है। 95 साल को वुढ़ी माँ की जिम्मेदारी भी है। मैं अपने लंवित बकाया वेतन भुगतान हेतु सभी संबधित विभागीय पदाधिकारी को कई बार लिख चुका हूँ तथा प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग के जनता दरवार दिनांक 02.09.2011 को भी अपनी समस्या से अवगत कराते हुए आवेदन दिया था लेकिन आज तक मुझे वेतन नही मिला ।

अत: श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि मेरा लंबित बकाया वेतन भुगतान कराने की असीम कृपा की जाय ।

इसके लिये मैं श्रीमान् का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

[signature] 27/4/2013

प्रबन्धक

कार्यालय सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि0

मधेपुरा

मो0-9801724495

Annexure-5 (15)

संख्या ____ / दिनांक - 25/06/11

प्रेषक : श्री दीना नाथ मिश्र
जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा
सह-लोक सूचना पदाधिकारी

सेवा में,
श्रीमति रेखा देवी पति श्री चन्द्रशेखर सिंह
ग्राम- सरोपट्टी, पो०- लालपुर सरोपट्टी, भाया- सिंहेश्वर
जिला- मधेपुरा।

महाशय,

यह आपके आवेदन दिनांक- 13.06.11 (आई० डी० सं० दिनांक-) सूचना की माँग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

मांगी गई वांछित सूचना में से अंश सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध कराई जाती है।

1. आपके पति का वेतन 01 जून 1997 से बकाया है। तथा मो० 11.98 (बारह) के लगभग वेतन की राशि होगा।
2. आपके पति का वेतन उपलब्धता के आधार पर पैक्स / के० स० बैंक / कि० रा० सह० बैंक से प्राप्त अंशदान (कैडर फण्ड) तथा राज्य सरकार से प्राप्त प्रबन्धकीय अनुदान से किया जाता था। उक्त सभी स्तर से निधि शून्य है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है।

वर्तमान में भुगतान करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं उनका पदनाम के साथ प्रेषक के रूप में दर्ज है जो वेतन मद में राशि उपलब्ध होने पर उक्त पदाधिकारी सह प्रशासक, सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि० के रूप में करेंगे।

3. आपके पति का सेवा निवृति तिथि- 29 अगस्त 2008 ई० है। (29-8-08)
4. वेतन भुगतान लंबित रहने का पूर्ण विवरण उपरोक्त कंडिका 2 पर है।
5. विभागीय अपीलीय प्राधिकार- संयुक्त निबन्धक सहयोग समिति, कोशी प्रमण्डल सहरसा है। पता सहकारिता भवन सहरसा है।

अगर आप उपर्युक्त जानकारी से क्षुब्ध (असंतुष्ट) हैं तो निर्णय प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

ह० 25.6.2011

जिला सहकारिता पदाधिकारी
मधेपुरा-सह-लोक सूचना पदाधिकारी

Typed Copy T.C Annexure 5 (15)

तिथि – 25.06.11

संख्या–
प्रेषक,

श्री दीना नाथ मिश्र,

जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा

सह लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

श्रीमती रेखा देवी, पति श्री चन्द्रशेखर सिंह, ग्राम सरोपट्टी, पो० लालपुर सरोपट्टी, भाया – सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा।

महाशय,

यह आपके आवेदन दिनांक 13.06.2011(आई०डी०स० दिनांक) सूचना की मांग के लिए अनुरोध के प्रसंग में है।

मांगी गई वांछित सूचना में से अंश सूचना निम्न प्रकार उपलब्ध करायी जाती है–

1. आपके पति का वेतन 01 जून 1997 से बकाया है तथा मो० 11.98 (लाख) के लगभग वेतन की राशि होगा।

2. आपके पति का वेतन उत्पादकता के आधारा पर पैक्स / के०स० बैंक /वि०रा०सह० बैंक से प्राप्त अंशदान (केडर फण्ड) तथा राज्य सरकार से प्राप्त प्रबन्धकीय अनुदान से किया जाता था। उक्त सभी स्तर से निधि शून्य है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है।

वर्तमान में भुगतान करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं उनका पदनाम के साथ प्रेषक के रूप में दर्ज है जो वेतन मद में राशि उपलब्ध होने पर उक्त पदाधिकारी –सह–प्रशासक, सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि० के रूप में करेंगें।

3. आपके पति का सेवानिवृत्ति तिथि – 29 अगस्त 2008 ई० है।

4. वेतन भुगतान लंबित रहने का पूर्ण विवरण उपरोक्त कंडिका 2 पर है।

5. विभागीय अपीलीय प्राधिकार संयुक्त निबन्धक सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा है। पता सहकारिता भवन, सहरसा है।

अगर आप उपर्युक्त जानकारी से क्षुब्ध (संतुष्ट) नही तो निर्णय प्राप्ति के तिथि से से 30 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

विश्वासभाजन,

ह०/अस्पष्ट
25.06.2011
जिला सहकारिता पदाधिकारी,
मधेपुरा –सह– लोक सूचना पदाधिकारी

Annexure 6 16

विभागीय पत्रांक 204/स.को. दिनांक 14.11.2011 द्वारा पैक्स प्रबंधकों की
<u>समस्याओं के समाधान हेतु गठित</u> कमिटी का प्रतिवेदन

दिनांक 20.10.2011 को प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में पैक्स प्रबंधकों की समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श हुआ तथा विमर्शोपरांत उनकी समस्याओं के समाधान हेतु अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ की अध्यक्षता में निम्नरूपेण कमिटी की गठन का निर्णय हुआः-

1. श्री टी.पी. सिन्हा, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना - अध्यक्ष
2. श्री अशोक कुमार झा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना - सदस्य
3. मो. मुजीब, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना - सदस्य
4. श्री विकास कुमार बरियार, सहायक निबंधक (अ.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना - सदस्य
5. श्री नागेन्द्र प्रसाद, उप निबंधक (न्या.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना - संयोजक

कमिटी को निम्न विन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन समर्पित करना थाः-

1. पैक्स प्रबंधकों के नियमित वेतन, बकाया वेतन आकलन करना तथा ... के बारे में जानकारी प्राप्त करना ।
2. भुगतान एवं राशि की व्यवस्था के संबंध में सुझाव ।
3. पैक्स प्रबंधकों की सेवा का समायोजन/अन्य विकल्पों पर सुझाव ।
4. पैक्स प्रबंध्कों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।

उपरोक्त संदर्भित विन्दुओं के आलोक में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु कमिटी की दिनांक 1.12.11 से 22.8.12 के बीच विभिन्न बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी बैंकों से पैक्स प्रबंधकों का बकाया वेतन एवं कैडर फण्ड में किए गए अंशदान से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । साथ ही पैक्स प्रबंधकों के संघ को भी बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त किया गया । बैठक में पैक्स प्रबंधक की सेवा एवं इससे संबंधित ... के परिपत्रों/न्यायिक आदेशों की समीक्षा भी की गई ।

समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से पैक्स प्रबंध्कों की समस्याओं एवं उसकी समाधान से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो निम्नरूपेण हैः-

पृष्ठभूमिः

वर्ष 73-74 में संचालित होने वाली राज्य सरकार के विशेष नियोजन ... के अंतर्गत एवं रिजर्व बैंक की अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) में कार्य करने हेतु वेतन भोगी प्रबंधकों की नियुक्ति हुई थी । ये नियुक्तियाँ गैर सरकारी सेवान्तर्गत अस्थाई तौर पर की गयी थी तथा इन्हें समेकित वेतन अनुमान्य था, जो कि राज्य सरकार से प्राप्त प्रबंधकीय अनुदान से देय था । आवंटन एवं अन्य कारणों से नियुक्त वेतन भोगी प्रबंधकों को नियुक्ति के एक वर्ष के बाद ही हटा दिये गये । किन्तु रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के अनुशंसा के आलोक में राज्य सहकारिता

बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स के अंशदान तथा सरकार के अनुदान से विभागीय पत्रांक 5893 दिनांक 7.5.75 द्वारा कैडर फण्ड का सृजन कर वेतन भोगी प्रबंधकों की पुनर्नियुक्ति केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से की गई ।

वर्ष 1976 में राज्य सरकार द्वारा पैक्सों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया । इस पुनर्गठन योजना के तहत 16500 पैक्सों को विघटित करते हुए समितियों का उनके ऋण वितरण की क्षमता के आधार पर पुनर्गठित किया गया । पुनर्गठित पैक्सों को कारोबार के 'मदेनजर समितियों में पूर्णकालिक वेतन भोगी की आवश्यकता को देखते हुए 3000 वेतन भोगी प्रबंधकों की नियुक्ति नियोजनालयों के माध्यम से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा कराने का निर्णय लिया गया । कालांतर में (1978-79) जिला संवर्गत सहयोग समिति का गठन कर वेतनभोगी प्रबंधकों की सेवा को इसके अधीन कर दिया गया ।

जिला संवर्ग सहयोग समिति, की उप-विधि के अनुसार वेतनभोगी प्रबंधक पैक्स का कार्य करने के लिए नियुक्त होते हैं । पैक्स की उप-विधि के अनुसार ये पैक्स के सदस्य सचिव होते हैं । इस नाते पैक्स के व्यवसाय आदि का विस्तार कर पैक्स को स्वावलम्बी बनाना इनका दायित्व है । जिला संवर्गत सहयोग समिति, की उपविधि के अनुसार सभी प्रबंध जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक, इसके सदस्य सचिव होते हैं । प्रबंध निदेशक सह-सदस्य सचिव वेतनभोगी प्रबंधकों के नियंत्री एवं नियुक्ति पदाधिकारी होते हैं ।

<u>सेवा संबंधी शर्त्ते/वेतन निर्धारण</u>:

वेतनभोगी प्रबंधकों का वेतन निर्धारण संबंधी विषय पर, प्रारम्भ से असमंजस की स्थिति रही है । बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 33(1) के तहत निर्गत कार्यालय आदेश 1077 दिनांक 19.1.70 के अनुसार वेतनभोगी प्रबंधकों का वेतनमान 105-3-123-द.रो.-2-129-2-145-द.रो.-155 निर्धारित था परन्तु इसके बाद की नियुक्तियाँ, समेकित वेतन पर की गई थी । वर्ष 1975 में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 5893 दिनांक 7.5.1975 द्वारा वेतनभोगी प्रबंधकों की नियुक्ति समेकित वेतन 200/- प्रतिमाह पर की जाती थी । जिला संवर्ग निधि के गठन के उपरान्त इसमें अंशदान करने को प्रक्रिया पर भी समय-समय पर बदलाव हुआ है । पूर्व में संवर्ग निधि में अंशदान पैक्सों द्वारा किये गए वित्तपोषण के आधार पर होता था जिसे समाप्त कर आदेश संख्या 503 दिनांक 31.5.89 द्वारा पैक्सों द्वारा ऋण वसूली के आधार पर किया गया । वर्ष 1990 के दशक में ऋण वसूली में आयी कमी के कारण संवर्ग निधि में पर्याप्त अंशदान नही होने के कारण वेतनभोगी प्रबंधकों का नियमित वेतन भुगतान बाधित हुआ जिसके फलस्वरूप कार्यालय आदेश संख्या 3507 दिनांक 28.12.93 द्वारा संवर्ग निधि में अंशदान की प्रकिया को पुनः ऋण वितरण पर आधारित करते हुए प्रबंधकों का वेतन भुगतान इस हेतु विशेष रूप से निर्मित खाता संख्या-1 के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है । वेतनभोगी प्रबंधकों की सेवा संबंधी शर्त्तों को निर्धारण आदेश चार विभागीय आदेश 11242 दिनांक 27.10.83 द्वारा हुआ है जो की वर्त्तमान में लागू है

<u>पूर्व में हुए समायोजन:</u>

वर्ष 1979 में राज्य सरकार के छटनीग्रस्त/अतिरेक घोषित कर्मियों के समायोजन की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी । दिनांक 17.05.86 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के साथ प्रबंधकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुए विचार-विमर्श में लिये गए निर्णय के आलोक में वित्त विभाग के माध्यम से अन्य विभागों में रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित कराने हेतु प्रबंधकों की सूची वित्त विभाग के माध्यम से अन्य विभागों में रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित करने हेतु वित्त विभाग के पत्रांक 1877 दिनांक 06.09.86 से उपलब्ध कराई गई । उक्त सूची में 113 वेतनभोगी प्रबंधकों की नियुक्ति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में वर्ष 1987 में हुई किन्तु तब तक यह पता चला कि प्रबंधक सरकार के छटनीग्रस्त/अतिरेक के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतएव शेष की नियुक्ति/समायोजन नहीं हुआ ।

वर्ष 1991 में वेतनभोगी प्रबंधकों के संघ द्वारा सरकारी सेवा में समायोजन हेतु पटना उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका CWJC-2312/91 दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश प्रबंधकों के पक्ष में हुआ, जिसके विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP-7357/96 दायर किया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.08.98 को आदेश पारित के आलोक में निर्णय था कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन [illegible] द्वारा सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय में वर्ग तीन के पद पर वेतनभोगी प्रबंधकों की नियुक्ति हेतु तीन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी । [illegible] उक्त तीनों परीक्षाओं में 1140 वेतनभोगी प्रबंधक सफल हुए । उक्त तीनों परीक्षाओं में असफल प्रबंधकों को सेवा वर्त्तमान सेवा शर्त्त पर बनाये रखने का भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गयी है, जिसके आधार पर वर्त्तमान में लगभग 759 प्रबन्धक कार्यरत है ।

<u>अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं की वर्त्तमान स्थिति:</u>

राज्य के अल्पकालीन सहकारी साख की त्रिस्तरीय संरचना अंतर्गत पंचायत स्तर पर 8463 पैक्स जिला स्तर पर 22 केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक लि. कार्यरत है जो कि राज्य के कृषकों को अलकालीन कृषि ऋण के अतिरिक्त खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति एवं विपणन तथा अन्य कृषि जन सुविधा उपलब्ध कराते हैं । इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने तथा विधिक एवं संस्थागत सुधार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरुद्धार पैकेज के कियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञाप प्रारुप (MOU) पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके आलोक में इन संस्थाओं को आंतरिक मामलों में उसके कार्मिकों की नियुक्ति/पदस्थापना आदि मामलों में पूर्ण स्वायत्तता दी गयी है । साथ ही इन संस्थाओं में सरकार की हिस्सापूंजी को भी उसके कुल पूंजी के 25% के अंतर्गत सीमित किया गया है । पैक्सों के संबंध में बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम 2006 में यह भी प्रावधान किया गया है कि उसके निदेशक मंडल में सरकार का कोई मनोनयन नहीं होगा तथा पैक्सों में राज्य सरकार की अधिसूचना निर्गत होने पर कोई कैडर प्रणाली नहीं होगी, चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार तीन सीमित परीक्षा में

असफल प्रबंधकों को वर्त्तमान सेवा शर्त पर बनाये रखना है, इसलिए सरकार द्वारा [illegible]
प्रणाली को समाप्त करने हेतु अधिसूचना निर्गत नही की गई है ।

वेतन भुगतान की वर्त्तमान व्यवस्था एवं उससे सम्बन्धित समस्याः

वेतनभोगी प्रबंधकों को वेतन का भुगतान जिला संवर्ग निधि से खाता संख्या-1 के
माध्यम से होता है । जिला संवर्ग निधि में राशि बिहार राज्य सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय
सहकारी बैंक लि., पैक्स द्वारा गत वित्तीय वर्ष में वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण का
कमशः 0.3% एवं 0.75% एवं 1.25% अंशदान से होता है । इसके अतिरिक्त उक्त निधि में
राज्य सरकार द्वारा प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता था । चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय
के आदेशानुसार तीन सीमित परीक्षाओं में सफल प्रबंधकों की सेवा को सरकारी सेवा में
समायोजन कर लिया गया अतएव एक नीति के तहत वर्ष 2005-06 के उपरांत जिला
संवर्ग निधि में प्रबंधकीय अनुदान देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया । वर्ष
2005-06 के पूर्व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रबंधकीय अनुदान को विवरणी परिशिष्ट-1
पर संलग्न है । वर्त्तमान में वेतनभोगी प्रबंधकों का वेतनमान 975-1540 रुपये पर
राज्य सरकार के कार्मिकों के अपुनरीक्षित वेतन के अनुरूप अनुमान्य मंहगाई भत्ता के
साथ 50 रुपये यात्रा भत्ता लागू है । जिला संवर्ग निधि में पैक्सों द्वारा वर्त्तमान में
अंशदान नही दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप संवर्ग निधि में पर्याप्त राशि के अभाव
के कारण वेतनभोगी प्रबंधकों का वेतन अवरुद्ध है । कमिटी की विभिन्न बैठकों में प्रबंधकों
के बकाया वेतनादि एवं संवर्ग निधि में अंशदान की स्थिति की समीक्षा की गयी [illegible]
इससे संबंधित प्रतिवेदन परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रबंधकों का
कुल 165.88 करोड़ रुपये का वेतन बकाया है ।

कमिटी का सुझाव/अनुशंसाः

सहकारिता विभाग के आदेश संख्या 503 दिनांक 31.5.89 द्वारा सहकारिता
प्रबंधकों के वेतन भुगतान के संबंध में संवर्ग निधि के परिचालन के बिन्दु पर भी बिहार
सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 की धारा 66बी के तहत संबंधित केन्द्रीय सहकारी
बैंकों के निदेशक मंडल में पारित करा लेने के शर्त्त के साथ कतिपय निर्देश दिए गए थे ।
उक्त निदेश के आलोक में प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक में एक ही संवर्ग निधि [illegible]
के कृषि ऋण के वसूली पर आधारित अंशदान की व्यवस्था की गई थी एवं उक्त संवर्ग
निधि से सहकारिता प्रबंधकों के वेतनादि का भुगतान होता था ।

पुनः सहकारिता विभाग के पत्र संख्या 3507 दिनांक 28.12.93 द्वारा बिहार
सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 की धारा 66बी के तहत संवर्ग निधि के संरचना एवं
संचालन में परिवर्त्तन किए गए जो निम्नवत् हैः-

(i) केन्द्रीय सहकारी बैंक के जिस शाखा से पैक्स सम्बद्ध है उस शाखा में प्रत्येक
पैक्स द्वारा एक अलग से बचत खाता खोला जायेगा, जिसे खाता संख्या [illegible]
जाएगा । जिसका संचालन बैंक के प्रबंध निदेशक तथा संबंधित पैक्स के प्रबंध
समिति के एक नौमनी द्वारा संयुक्त रूप से समिति के प्रबंधक के वेतन भुगतान
हेतु किया जाएगा ।

(ii) उपर्युक्त खाता संख्या-1 में निधि के रूप में बिहार राज्य सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स द्वारा गत वित्तीय वर्ष में वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण का क्रमशः 0.3%, 0.75% एवं 1.25% अंशदान किया जाना है ।

इस व्यवस्था में पुनः किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं है एवं वर्त्तमान में भी प्रभावी है । संभवतः इस प्रकार पैक्स में कृषि साख के दायित्वों एवं प्रत्येक सहकारिता प्रबंधकों के कर्त्तव्य निर्वहन के अनुरूप वेतनादि भुगतान हेतु खाता संख्या-1 की व्यवस्था की गई है । इसलिए कमिटी का सुझाव है कि:-

1. केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो कि वसूली की गयी राशि मार्जिन पर संबंधित पैक्सों के अंशदान की गणना कर उतनी राशि संवर्ग निधि के खाता संख्या-1 में हस्तान्तरित कर दिया जाए ।
2. वेतनभोगी प्रबंधकों की पदस्थापना प्रखण्ड स्तर पर पैक्सों की संख्या को देखते हुए किया जाए । एक प्रखण्ड में अधिकतम 3 या 4 प्रबन्धकों की पदस्थापना पैक्सों में की जा सकती है । वे अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सदस्यों से संबंधित कार्यों/हितों के लिए पैक्स एवं बैंक के बीच एक प्रसार कर्मी (Extension Worker) का कार्य करेंगे । वे अल्पकालीन ऋण वितरण, ऋण वसूली, किसान क्रेडिट कार्ड का निर्गमन के अलावे पैक्सों में सदस्यता अभियान, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति कार्यों में प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक सह सदस्य सचिव जिला संवर्ग समिति के नियंत्रणाधीन कार्य कर सकते हैं ।
3. वेतनभोगी प्रबंधकों की सेवा जमा अभिकर्त्ता के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंक भी लेने पर भी विचार किया जा सकता है एवं इसमें प्रदत्त की जानी वाली कमीशन की राशि को जिला संवर्ग निधि में अतिरिक्त अंशदान के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिया जा सकता है । इसे एक ओर जहाँ प्रबंधकों का वेतन भुगतान हेतु संवर्ग निधि में पर्याप्त राशि होगी वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को जमा में वृद्धि होने से उनके नेटवर्थ में सुधार होगा ।
4. इस निर्णय पर विचार किया जा सकता है कि पूर्व की भाँति प्रत्येक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में एक संवर्ग निधि हो जिसमें प्रत्येक पैक्स से वितरित अल्पकालीन कृषि ऋण के आधार पर राज्य सहकारिता बैंक के केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स का अंशदान प्राप्त हो ।
5. पैक्स प्रबंधकों को बकाया वेतन भुगतान हेतु सरकार प्रबंधकीय अनुदान स्वीकृत करने पर विचार कर सकती है परन्तु उसके पूर्व उनके जिम्मे ऋण वसूली के मद में यदि कोई राशि हो तो उसे वे बैंक में जमा करें अथवा उनके बकाये वेतन से उसे समायोजित कर किया जाय ।
6. पैक्स प्रबंधक का नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके इसके लिये संवर्ग निधि में Deficit राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु सरकार प्रबंधकीय अनुदान देने की व्यवस्था फिर से शुरू करने पर विचार कर सकती है परन्तु इसका आधार पैक्स

प्रबंधकों का Performance होना चाहिए । इसके लिये उनके कार्यों के मूल्यांकन हेतु एक व्यवस्था बनाने पर सहमत हुआ जा सकता है । इससे वे अपने कार्यों के प्रति ज्यादा सचेष्ट रहेंगे ।

7. केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के सभी वैतनभोगी प्रबन्धकों के बकाये वेतन भुगतान के मद में मो. 165.88 करोड़ रुपये की आवश्यकता है । बैंकवार विवरणी परिशिष्ट–2 पर संलग्न है । यह बकाया कार्यरत प्रबन्धकों, सेवानिवृत्त एवं मृत प्रबन्धक एवं उन प्रबन्धकों का है जो संप्रति दूसरी सेवा में चले गए हैं । इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था संवर्ग निधि में राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्सों के अंशदान से संभव नहीं है । अतः इस राशि की व्यवस्था राज्य सरकार कैडर फण्ड में प्रबन्धकीय अनुदान के रूप में स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं ।

8. बिहार सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 44BN के अनुसार कोई कैडर प्रणाली नहीं होगी । चूँकि भविष्य में कैडर प्रणाली को समाप्त होना है, ऐसी स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है ।

(विकास कुमार बरियार)
सदस्य
सहायक निबंधक (अ.र.)
सहयोग समितियाँ, बिहार,
पटना

(मो. मुजीब) 22/8/2012
सदस्य
अवर सचिव,
सहकारिता विभाग, बिहार,
पटना

(नागेन्द्र प्रसाद)
संयोजक
उप निबंधक (न्यायिक),
सहयोग समितियाँ, बिहार,
पटना

(अशोक कुमार झा) 22/8/12
सदस्य
संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

(टी.पी. सिन्हा)
अध्यक्ष
अपर निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

Annexure-7

(22)

पैक्स प्रबंधकों के बकाया वेतनादि का दावा राशि का विवरण प्रपत्र

क्र.सं.	सहकारिता प्रबंधकों का नाम	कार्य अवधि में उपार्जित कैडर फण्ड अंशदान	अंतिम वेतन भुगतान का माह	भुगतान की गई शाखा राशि	बकाया वेतन का माह	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	19889.09	अगस्त 2001	236817=00	सितम्बर 2001	1492088=00	
2	" सुरेनारायण यादव	58275.00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1045818=00	
3	" नन्द किशोर सिंह	41636.77	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1057610=00	
4	" रमाकान्त झा	39707.10	जून 1995	73635=00	जुलाई 1995	1409893=00	
5	" राजेन्द्र ना० सिंह	72244.00	जून 1995	73635=00	जुलाई 1995	360280=00	
6	" चन्देश्वरी प्र० यादव	61100.65	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	728220=00	
7	" नवल किशोर यादव	33197.64	जून 1993	49110=00	जुलाई 1993	1640596=00	
8	" राजेन्द्र प्र० सिंह	47627.57	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	659046=00	
9	" राजकिशोर सिंह	16167.00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1492088=00	
10	" रामू मंडल	100967.61	मई 1997	101235=00	जून 1997	1766426=00	
11	" पुलकित ठाकुर	19678.00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	207734=00	
12	" शम्भू नाथ साह	112392.00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1032245=00	
13	" कमलेश कु० सिंह पिता (स्व० शिवेन्द्र ना० सिंह)	25931.00	जून 1993	49110=00	जुलाई 1993	577933=00	
14	" अजित कुमार सिंह	84952.00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1150958=00	
15	" महेन्द्र प्र० महेता	72131.00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	184487=00	
16	" महेन्द्र पंडित	42627.96	जून 1997	102465=00	जुलाई 1997	462295=00	
17	" विनोद कुमार सिंह	72244.00	दिसम्बर 2000	178139=00	जनवरी 2001	1580390=00	
18	" दिगम्बर कुमार झा	24546.00	जून 1995	73635=00	जुलाई 1995	1386476=00	
19	" शिवनारायण साह	74829.94	जनवरी 1996	75450=00	फरवरी 1996	1175166=00	
20	" चन्देश्वरी प्र० यादव	31391.00	अगस्त 1995	75985=00	सितम्बर 1995	724488=00	
21	" बैजू प्रसाद सिंह	48176.85	दिसम्बर 1996	95085=00	जनवरी 1997	1575832=00	
22	" चन्देश्वरी राम	9271.83	मार्च 1997	98775=00	अप्रैल 1997	1768886=00	
23	" सुदिष्ट यादव	27767.00	अप्रैल 1997	99975=00	मई 1998	819894=00	
24	" लखन देव यादव	30960.41	जून 1995	73635=00	जुलाई 1996	1794026=00	

अभ्युक्ति (स्तम्भ 8):

1. प्रतिवेदन में अंकित दावाकर्ता कार्यालय सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि०, मत्स्यपुरा के द्वारा नियुक्त सहकारिता प्रबंधक है।
2. क्रमांक - 1, 9, 17, 22, 24, 28, 41, एवं 50 कार्यरत प्रबंधक है। क्रमांक - 13, एवं 52 मृत प्रबंधकों के आश्रित है। क्रमांक - 5, 11, 15, 16, 29, एवं 48 सरकारी सेवा मे चले गए है। शेष सभी सेवा निवृत प्रबंधक है। जिनका विभिन्न कार्यअवधि का वेतन बकाया है।
3. सभी आवेदक द्वारा बिहार सरकार (सहकारिता विभाग) विभागीय शिकायत निवारण ... द्वारा ... समाचार पत्र दिनांक 20.04.2013 में प्रकाशित ... सं० विo 727 (सहकारिता) 13-14 बिहार के ... के निवारण हेतु अपना अपना दावा का विवरण प्रपत्र ... किया है।
4. ... में अंकित ... उनके द्वारा उपार्जित कैडर फण्ड अंशदान के ... संलग्न नहीं है।
5. ... द्वारा स्वीकृत वेतन मान एवं महंगाई भत्ता एवं फिक्स ... गया है।
6. ... से जिला में अवस्थित बैंक, मत्स्यपुरा सुपौल सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०, ... परिसमापनाधीन है।
7. कैडर समिति को कोई संबंध नहीं है।
8. ... समिति की अनुशंसा लागू होने से पैक्स और कैडर समिति में कोई संबंध एवं लेन देन नहीं रहा।
9. ... सहकारिता समिति में प्रबंधकों के वेतन भुगतान एवं अन्य मद में किसी प्रकार का लाभ उपलब्ध नहीं है।
10. राज्य सरकार से मिलने वाली प्रबंधकीय अनुदान वर्ष 2003 से बंद है।
11. कैडर समिति में अन्य किसी स्रोत से किसी प्रकार का अंशदान प्राप्त नहीं हो रहा है।
12. ... के अनुपलब्धता के कारण कैडर समिति के द्वारा दावा कर्ताओं (प्रबंधक) का भुगतान संभव नहीं है।
13. वेतन मद की गई गणना अभ्युक्ति क्रम सं० 5 के आधार पर आवश्यक कैडराइजेशन की उपलब्धता को आधार मानकर की गई है। बैंक परिसमापनाधीन होने तथा कैडर फंड अनुदान नहीं होने की स्थिति में निधि का सृजन नहीं होता है तथा वेतन भुगतान नहीं होता है।

(हस्ताक्षर)

1	2	3	4	5	6	7	8
25	श्री सीताराम राम	53838 50	दिसम्बर 1994	66685=00	जनवरी 1995	1426232=00	
26	" चन्द्रज्योति प्रसाद सिंह	159587 97	जून 1995	73635=00	जुलाई 1995	1739266=00	
27	" सुरेन्द्र प्रसाद 'सुमन'	43570 61	जून 1995	78350=00	जुलाई 1996	471002=00	
28	" गजेन्द्र शर्मा	48497 73	दिसम्बर 1992	45435=00	जनवरी 1993	1822226=00	
29	" छेदीलाल चौधरी	29522 97	अगस्त 2001	272350=00	सितम्बर 2001	85884=00	
30	" देवनारायण यादव	56402 00	दिसम्बर 1996	95085=00	जनवरी 1997	1574674=00	
31	" राजेश्वर झा	22809 00	अप्रैल 1991	33465=00	मई 1991	1172794=00	
32	" विजेन्द्र यादव	33008 00	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1300428=00	
33	" सच्चिदानंद झा	48725 00	जून 1995	73635=00	जुलाई 1995	1050752=00	
34	" भूपेन्द्र प्र० यादव	48351 06	मई 1997	101205=00	जून 1997	665562=00	
35	" रवीन्द्र प्र० सिंह	25171 80	अगस्त 2001	345954=00	सितम्बर 2001	1247921=00	
36	" भूषण प्र० सिंह	20915 00	जून 1997	102465=00	जुलाई 1997	1718768=00	
37	" बैकुण्ठ प्र० सिंह	52616 00	दिसम्बर 1992	45435=00	जनवरी 1993	1638256=00	
38	" श्याम सुंदर लाल दास	61720 00	अगस्त 2001	345954=00	सितम्बर 2001	913977=00	
39	" महेन्द्र राम	72479 00	जून 1996	81450=00	जुलाई 1996	1241450=00	
40	" शत्रुघ्न मंडल	58715 00	जून 1996	81450=00	जुलाई 1996	1492635=00	
41	" भुठाई साहा	33696 33	मई 1993	69555=00	जून 1993	1818562=00	
42	" ब्रह्म देव कुमार	8984 06	दिसम्बर 1992	45435=00	जनवरी 1993	1367938=00	
43	" लक्ष्मी प्रसाद	75946 95	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	437916=00	
44	" नागेश्वर यादव	67774 55	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1382559=00	
45	" सियाचरण पासवान	70652 59	जून 1993	49110=00	जुलाई 1993	844488=00	
46	" अमरकान्त झा	89313 00	मई 1997	101205=00	जून 1997	1735851=00	
47	" कामेश्वर प्र० सिंह	65129 00	जून 1989	20835=00	जुलाई 1989	669432=00	
48	" तेजनारायण महतो	35492 00	दिसम्बर 1996	95085=00	जनवरी 1997	364384=00	
49	" जगदीश ठाकुर	28870 83	जून 1995	73615=00	जुलाई 1995	693681=00	
50	" उपेन्द्र कु० सिंह	79190 00	जून 1995	73635=00	जुलाई 1995	1794026=00	
51	" राम प्रकाश सिंह	51480 06	अक्टूबर 1995	78335=00	नवम्बर 1995	1802886=00	
52	" निर्मला देवी पति स्व. (देवदत्त प्र० यादव)	79416 08	दिसम्बर 2001	266441=00	जनवरी 2002	1300428=00	
53	" चन्द्रशेखर सिंह	95453 08	मई 1997	95550=00	जून 1997	1022652=00	

(24)

3

	2	3	4	5	6	7	8
53	श्री योगेन्द्र पासवान	135570.00	जून 1993	49110=00	जुलाई 1993	974540=00	
54	" जनार्दन रजक	44245.16	जून 1997	102465=00	जुलाई 1997	476192=00	
55	म० सरस्वती देवी पति स्व० (निर्धन रजक)	45962.00	मार्च 1995	71545=00	अप्रैल 1995	952194=00	
56	श्री निरंजन प्रसाद यादव	68156.16	मई 1993	69555=00	जून 1993	9,94,915=00	

ज्ञापांक 42 मधेपुरा, दिनांक 28/6/13

प्रतिलिपि –

1. उप निबंधक (न्या०), सहयोग समितियाँ बिहार पटना, को उनके पत्रांक 2345 पटना, दिनांक 31.05.13 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित ।

28/6/13

जिला सहकारिता पदाधिकारी
मधेपुरा-सह-प्रशासक
सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि० मधेपुरा

T.C Annexure - 7 (27)

Typed Copy of Annexure - 7

पैक्स प्रबंधकों के बकाये वेतनादि का दावा राशि का विहित प्रपत्र

क्र.सं.	सहकारिता प्रबंधकों का नाम	कार्य अवधि में उपार्जित केडर फण्ड अंशदान		अंतिम वेतन भुगतान अवधि	भुगतान की गई राशि	बकाया वेतन अवधि	राशि	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	19889	03	अगस्त 2001	236817.00	सितम्बर 2001	1492088.00	1. प्रतिवेदन में अंकित दावाकर्त्ता कार्यालय सहरसा जिला संवर्ग सहयोग समिति लि०, मधेपुरा के द्वारा नियुक्त सहकारिता प्रबंधक है।
2.	श्री सुर्यनारायण यादव	58275	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1045818.00	2. क्रमांक 1,9,17,22,24,28,41 एवं 50 कारित प्रबंधक हैं। क्रमांक–13 एवं 52 मृत प्रबंधकों के आश्रित हैं।
3.	श्री नन्द किशोर सिंह	41636	77	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1057610.00	क्रमांक 5,11,5,16,29 एवं 48 सरकारी सेवा में चले गये हैं। शेष सभी सेवा निवृत प्रबंधक हैं। जिनका विभिन्न कार्यअवधि का वेतन बकाया है।
4.	श्री रमाकान्त झा	39707	10	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	1409893.00	3. सभी आवेदन कर्त्ता बिहार सरकार (सहकारिता विभाग) विभागीय शिकायत निबंधन समिति द्वारा दैनिक जागरण समाचार का दिनांक 20.04.2013 में प्रकाशित विज्ञापन स०स०स०वि० 727(सहकारिता) 13–14 बिहार के आलोक में अटूट संरचना के विस्तार हेतु अपना –अपना दावा पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है।
5.	श्री गजेन्द्र ना० सिंह	72244	00	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	360280.00	4. प्रतिवेदन में अंकित दावाकर्त्ताओं के उनके द्वारा उपार्जित केडर फण्ड अंशदान के विरूद्ध वेतन ऋण लंबित नहीं है।
6.	श्री चन्देश्वरी प्र० यादव	61100	65	दिसम्बर 2001	266001.00	जनवरी 2002	728220.00	5. बकाया वेतन के गणना विभाग द्वारा स्वीकृत वेतनमान एवं मँहगाई भत्ता एवं फिक्स यात्रा भत्ता जोड़कर दर्शाया गया है।
7.	श्री नवल किशोर यादव	33197	64	जून 1993	49110.00	जुलाई 1993	1640596.00	6. दिनांक 04.06.2003 से जिला में अवस्थित बैंक, मधेपुरा सुपौल सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि० मधेपुरा परिसमापनाधीन है।
8.	श्री राजेन्द्र प्र० सिंह	47627	57	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	659046.00	7. कैडर समिति को अंक से कोई संबंध नहीं है।
9.	श्री राजकिशोर सिंह	16167	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1432088.00	8. वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा लागू होने से पैक्स और कैडरा समिति में कोई संबंध एवं लेन देन नहीं रहा।
10.	श्री शम्भू मंडल	100947	61	मई1997	101235.00	जून 1997	1766426.00	9. जिला संवर्ग सहयोग समिति में प्रबंधकों के वेतन भुगतान एवं अन्य मद में किसी प्रकार का निधि उपलब्ध नहीं है।
11.	श्री पुलकित ठाकुर	19678	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	207734.00	10. राज्य सरकार से मिलने वाली प्रबंधकीय अनुदान वर्ष 2003 से बंद है।
12.	श्री शम्भू नाथ साह	112392	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1032245.00	11. कैडर समिति में अन्य किसी श्रोत से किसी प्रकार का अंशदान प्राप्त नहीं हो रहा है।
13.	श्री कमलेश कु० सिंह पिता (स्व० विजेन्द ना० सिंह)	25931	00	जून 1993	49110.00	जुलाई 1993	577933.00	12. निधि के अनुसंधानकर्त्ता के कारण कैडर समिति के द्वारा दावा कर्त्ताओं (प्रबंधक) का भुगतान सम्भव नहीं है।
14.	श्री अजित कुमार सिंह	89952	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1150958.00	13. वेतन मद की गई गणना अभ्युक्ति क्रम सं० 05 के आधारा पर आवश्यक कैडराईजेशन की उपलब्धता को आधार मानकरकी गई है। बैंक परिसमापनाधीन होने तथा कैडर फंड अनुदान नहीं होने की स्थिति में निधि का सृजन नहीं होता है तथा वेतन भुगतान नहीं होता है।
15.	श्री महेन्द्र प० मेहता	72131	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	184497.00	
16.	श्री महेन्द्र पंडित	42627	96	जून 1997	102465.00	जुलाई 1997	462295.00	
17.	श्री विनोद कुमार सिंह	72244	00	दिसम्बर 2000	178139.00	जनवरी 2001	1580390.00	
18.	श्री दिगम्बर कुमार झा	24546	00	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	1386476.00	
19.	श्री शिवनारायण साह	74829	94	जनवरी 1996	75450.00	फरवरी 1996	1175166.00	
20.	श्री चन्देश्वरी प्र० यादव	31391	00	अगस्त 1995	75985.00	सितम्बर 1995	724488.00	
21.	श्री बैजू प्रसाद सिंह	48176	85	दिसम्बर 1996	95085.00	जनवरी 1997	1575832.00	
22.	श्री चन्देश्वरी राम	9271	83	मार्च 1997	98775.00	अप्रैल 1997	1768886.00	
23.	श्री सुदिष्ट यादव	27767	00	अप्रैल 1997	99975.00	मई 1998	819894.00	
24.	श्री लखन देव यादव	30960	41	जून 1995	73635.00	जुलाई 1996	1794026.00	

(23)

Typed copy of page no. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	श्री सीताराम राम	53838	50	दिसम्बर 1994	6685.00	जनवरी 1995	1426232.00	
26.	श्री चन्द्राज्योति प्रसाद सिंह	159587	97	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	1739266.00	
27.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सुमन	49570	61	जून 1995	78350.00	जुलाई 1996	471002.00	
28.	श्री गजेन्द्र ार्मा	48497	73	दिसम्बर 1992	45435.00	जनवरी 1993	1822226.00	
29.	श्री छेदीलाल चौधरी	29522	97	अगस्त 2001	272950.00	सितम्बर 2001	85884.00	
30.	श्री देवनारायण यादव	56402	00	दिसम्बर 1996	95085.00	जनवरी 1997	1574674.00	
31.	श्री राजेश्वर झा	22809	00	अप्रैल 1991	33465.00	मई 1991	1172794.00	
32.	श्री विजेन्द्र यादव	33008	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1300428.00	
33.	श्री सच्चिदानंद झा	48725	00	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	1050752.00	
34.	श्री भूपेन्द्र प्र० यादव	48351	00	मई 1997	101205.00	जून 1997	665562.00	
35.	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह	25171	00	अगस्त 2001	345954.00	सितम्बर 2001	1247921.00	
36.	श्री भू ाण प्र० सिंह	20915	00	जून 1997	102465.00	जुलाई 1997	1718768.00	
37.	श्री बैकुण्ठ प्र० सिंह	52616	00	दिसम्बर 1992	45435.00	जनवरी 1993	1638256.00	
38.	श्री याम सुंदर लाल दास	61720	00	अगस्त 2001	345954.00	सितम्बर 2001	913977.00	
39.	श्री महेन्द्र राम	72479	00	जून 1995	81450.00	जुलाई 1996	1241450.00	
40.	श्री त्रिघन मंडल	88715	00	जून 1996	81450.00	जुलाई 1996	1492635.00	
41.	श्री भुठाई सादा	33696	33	मई 1993	69555.00	जून 1993	1818562.00	
42.	श्री ब्रह्मदेव कुमार	8984	00	दिसम्बर 1992	45435.00	जनवरी 1993	1367938.00	
43.	श्री लक्ष्मी प्रसाद	75946	95	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	437916.00	
44.	श्री नागेश्वर यादव	67774	55	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1382559.00	
45.	श्री सियाचरण पासवान	70652	59	जून 1993	49110.00	जुलाई 1993	844488.00	
46.	श्री अमरकान्त झा	89313	00	मई 1997	101205.00	जून 1997	1735851. 00669432.00	
47.	श्री कामेश्वर प्र० सिंह	65129	00	जून 1989	20835.00	जुलाई 1989	364384.00	
48.	श्री तेजनारायण मेहता	35492	00	दिसम्बर 1996	95085.00	जनवरी 1997	693681.00	
49.	श्री जगदीश ठाकुर	26870	83	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	1794026.00	
50.	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	79190	00	जून 1995	73635.00	जुलाई 1995	1802886.00	
51.	श्री राम प्रकाश सिंह	51480	00	अक्टूबर 1995	78335.00	नवम्बर 1995	1300428.00	
52.	श्रीमती निर्मला देवी, पति (स्व० देवदत्त प्र० यादव)	79416	00	दिसम्बर 2001	266441.00	जनवरी 2002	1022652.00	
53.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	95453	08	मई 1997	95550.00	जून 1997		

24

Typed copy of page no. 3

1	2	3		4	5	6	7	8
54.	श्री योगेन्द्र पासवान	135570	00	जून 1993	49110.00	जुलाई 1993	974540.00	
55.	श्री जर्नादन रजक	44245	16	जून 1997	102465.00	जुलाई 1997	476192.00	
56.	म० सरस्वती देवी पति स्व० (निर्धन रजक)	45962	00	मार्च 1995	71545.00	अप्रैल 1995	952194.00	
57.	श्री निरंजन प्रसाद यादव	68154	16	मई 1993	69555.00	जून 1993	994915.00	

ज्ञापांक 42 मधेपुरा, दिनांक 28.06.13

प्रतिलिपि –

1. उप निबंधक (न्या०) सहयोग समितियाँ बिहार पटना, को उनके पत्रांक 2344 पटना, दिनांक 31.05.13 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित।

ह०/अस्पष्ट
28.06.2013
जिला सहकारिता पदाधिकारी,
मधेपुरा, सह प्रशासक,
सहरसा जिला संवर्ग सहयोगय समिति लि०, मधेपुरा।